

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़

विज्ञापित

विभागीय पत्रांक-1793 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद, झारखण्ड राँची के पत्रांक-12/य.1-26/2011/515 दिनांक 27.10.2016 के निदेशानुसार जिलान्तर्गत कसुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वर्ग 9 से 12वीं तक के पठन-पाठन हेतु अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत नियत मानदेय पर जितों के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दू के आधार पर विषयवार निम्न कोटि के निये स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम सं०	विषय का नाम	कुल रिक्ति	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
1	हिन्दी	4	2	1	1
2	अंग्रेजी	4	2	1	1
3	गणित	4	2	1	1
4	रसायन शास्त्र	4	2	1	1
5	भौतिकी	4	2	1	1
6	जीव विज्ञान	4	2	1	1
7	अर्थशास्त्र	4	2	1	1
8	इतिहास	4	2	1	1
9	भूगोल	4	2	1	1
कुल योग		36	18	9	9

1. विषयवार शिक्षकों की अहर्ता वही होगी, जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अस्थायी व्यवस्था के तहत नियत मानदेय पर रखे जाने वाले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की होगी।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2016 के अनुरूप आयु सीमा अनुमान्य होगी।
3. इन शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अस्थायी व्यवस्था के तहत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय देय होगा।
4. यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2017 तक ही लागू रहेगी तथा 31.03.2017 के उपरान्त दिनक 01.04.2017 से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
5. इस व्यवस्था के तहत कार्य हेतु रखे जाने वाले भविष्य में शिक्षक पद पर स्थायी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे तथा इस आशय का शपथ-पत्र लेने के बाद ही उन्हें कार्य पर रखा जायेगा।
6. शिक्षक चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 3193 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 1650 दिनांक 02.06.2016 के आलोक में स्थानीय नीति के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
8. आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. चयन हेतु लिखित जाँच परीक्षा/काउन्सिलिंग या दोनों ही आयोजित की जायेगी, जिसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. इच्छुक आवेदनकर्ता पासपोर्ट साईज के दो फोटो सहित पूर्ण बायोडाटा विहित-प्रपत्र में भरकर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (स्वअभिप्रमाणित) के साथ एक लिफाफा में बंद कर दिनांक 31.01.2017 को 5:00 बजे अपराहन तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय, न्यू समाहरणालय, 'बी' ब्लॉक, छत्तरमाण्डू रामगढ़ में निर्बंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। विहित प्रपत्र तथा अन्य सूचना कार्यालय के सूचना पट अथवा वेब-साईट www.ramgarh.nic.in पर देख जा सकता है।
11. जाँच परीक्षा/काउन्सिलिंग की तिथि की सूचना समाचार पत्र/आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नं०, जिला के वेब-साईट www.ramgarh.nic.in एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय रामगढ़ के सूचना पट के माध्यम से बाद में दी जायेगी। काउन्सिलिंग की तिथि को सभी मूल प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
रामगढ़

उपायुक्त
रामगढ़

ज्ञापक.....137...../ RMSA रामगढ़, दिनांक 21/01/17 /

प्रतिलिपि :- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सरकार के द्वारा जनहित एवं लोकहित में जारी उपरोक्त विज्ञापित को सभी दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों के स्थानीय अंक में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।


उपायुक्त
रामगढ़

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में मानदेय पर अस्थायी शिक्षक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :.....

आवेदित विषय का नाम

1. आवेदक का नाम :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. लिंग -
4. जन्म तिथि :.....
5. स्थायी पता :.....
6. वर्तमान पता :.....
7. दूरभाष संख्या :.....
8. कोटि (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा) :.....
9. शैक्षणिक योग्यता -



क्रमांक	उत्तीर्ण का नाम	परीक्षा	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	मैट्रिक							
2	इंटर							
3	स्नातक							
4	स्नातकोत्तर							

10. प्रशैक्षणिक योग्यता -

क्रमांक	उत्तीर्ण का नाम	परीक्षा	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

11. शिक्षण कार्य में अनुभव (यदि हो तो) :.....

क्रमांक	विद्यालय/संस्था का नाम	अवधि (वर्ष/माह)	अभ्युक्ति

12. अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/अनुभव प्रमाण-पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करेंगे।

17.08.1995 के बाद प्रशिक्षित बी0एड0 संस्थान की मान्यता NCTE से अनिवार्य होगी।

घोषणा - एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना सही एवं सत्य है। किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं गलती के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर